

265 MSOS FACE REGISTRATION SUSPENSION

The Govt. is cracking on MSO's and has issued a final advisory to 265 Multi System Operators (MSOs) found non-compliant with regulations, warning them of cancellation of their license, if they fail to rectify their status by January 31, 2024.

The ministry has said that one of the terms and conditions of the MSO registration was that MSOs shall comply with the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, and the Rules made thereunder, as amended, and adhere to all the terms and conditions of the registration. Failing to do so, the permission/ registration is liable to be cancelled or suspended.

Further, according to Regulation 15(I) of the Interconnection Regulations, 2017, it is mandatory for every distributor of channels to conduct an audit of their system once in a calendar year. However, as per the information shared by TRAI, the scheduled MSOs have not conducted audits of their systems for the calendar years 2021 and/or 2022.

The Ministry's advisory dated March 23, 2023 has informed the broadcasters not to enter into interconnection agreements with non-compliant MSOs and to notify the non-compliant MSOs with whom they already have interconnection agreements.

As the scheduled MSOs did not provide the requisite clarification/explanation within the stipulated period, therefore, a Show Cause Notice dated 04.09.2023 was issued seeking reasons for their non-compliance with the terms and conditions of registration. Time period of 15 days was granted to the scheduled MSOs to furnish the requisite response.

The scheduled MSOs still did not provide the requisite details within the stipulated period. "It has been observed that despite lapse of the given period, the scheduled MSOs have failed to provide the requisite information or make any reference to this Ministry regarding their compliance status."

MIB said that the broadcasters are also advised to not enter into fresh interconnection agreements or renew the existing agreements with MSOs till their status is changed to Compliant. ■

पंजीकरण निलंबन का सामना करना पड़ा 265 एमएसओ को

सरकार एमएसओ पर नकेल कस रही है और नियमों का अनुपालन न करने वाले 265 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) को अंतिम सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गयी है कि यदि वे 31 जनवरी 2024 तक अपनी स्थिति में सुधार करने में विफल रहते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

मंत्रालय ने कहा कि एमएसओ पंजीकरण के नियमों व शर्तों में एक यह भी था कि एमएसओ केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियम यथा संशोधित और पंजीकरण के सभी नियमों और सभी शर्तों का पालन करते हैं। ऐसा न करने पर अनुमति/पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 5(1) के अनुसार, चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने सिस्टम का ऑडिट करना अनिवार्य है। हालांकि ट्राई द्वारा साझा की गयी जानकारी के अनुसार अनुसूचित एमएसओ ने कैलेंडर वर्ष 2021 और/या 2022 के लिए अपने सिस्टम का ऑडिट नहीं किया है।

मंत्रालय ने 23 मार्च 2023 की सलाह में प्रसारकों को गैर अनुपालन वाले एमएसओ के साथ इंटरकनेक्शन समझौते में प्रवेश न करने और गैर अनुपालन वाले एमएसओ को सूचित करने के लिए सूचित किया गया है, जिनके साथ उनके पहले से ही इंटरकनेक्शन समझौते हैं।

चूंकि निर्धारित एमएसओ ने निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित स्पष्टीकरण/व्याख्या प्रदान नहीं किया था, इसलिए, पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने के कारणों की मांग करते हुए दिनांक 04.09.2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपेक्षित प्रतिक्रिया देने के लिए संबंधित एमएसओ को 15 दिनों की समयवधि दी गयी थी।

संबंधित एमएसओ ने निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराया। 'यह देखा गया है कि दी गयी अवधि वीत जाने के बावजूद, अनुसूचित एमएसओ अपेक्षित जानकारी प्रदान करने या अपनी अनुपालन स्थिति के संबंध में इस मंत्रालय को कोई संदर्भ देने में विफल रहे।'

एमआईवी ने कहा कि प्रसारकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे एमएसओ के साथ नये इंटरकनेक्शन समझौते न करें या मौजूदा समझौतों को नवीनीकृत न करें जब तक कि उनकी स्थिति अनुपालन में न बदल जाये। ■

